न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः— श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2022

बउनवान

1. रामचन्द्र आयु 70 वर्ष पुत्र हीरालाल
2. सत्यनारायण आयु 60 वर्ष पुत्र हीरालाल
3. रामकरण आयु 58 वर्ष पुत्र हीरालाल
4. रमेशचन्द्र आयु 56 वर्ष पुत्र हीरालाल
5. कमला आयु 72 वर्ष पत्नी स्व0 बंशीलाल
6. भगवतीदेवी आयु 50 वर्ष पत्नी स्व0 मुरलीधर
7. देवेन्द्र आयु 15 वर्ष पुत्र स्व0 मुरलीधर नाबालिग
8. पूनम आयु 12 वर्ष पुत्री स्व0 मुरलीधर नाबालिगान जर्ये बवलियात माता भगवतीदेवी जातियान तेली निवासीगण बड़वा हाल निवासी अन्ता जिला बारां

(निगराकार)

बनाम

1. जयकिशन पुत्र धूलीलाल जाति धाकड़ **(मृतक)**
   1/1 हरिशंकर पुत्र जयकिशन जाति धाकड़
   1/2 महावीर पुत्र जयकिशन जाति धाकड़
   1/3 धनराज पुत्र जयकिशन जाति धाकड़
   1/4 मुकेश पुत्र जयकिशन जाति धाकड़
   1/5 रघुवीर पुत्र जयकिशन जाति धाकड़
   1/6 प्रेमबाई पत्नी स्व0 जयकिशन जाति धाकड़ निवासीगण बड़वा तहसील अन्ता
2. ग्राम पंचायत बड़वा जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव/ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति अन्ता जिला बारां

(गैरनिगराकारान)

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :— 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक (निगराकार)
2. श्री गजेन्द्र नागर अभिभाषक (गैरनगराकारान)

निर्णय दिनांक 28.07.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:22 IST
Reason: SelfAttested

निगराकार द्वारा जर्ये [illegible] संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बड़वा ने दिनांक 29.09.1986 को 59X56 [illegible] क्षे[illegible] 5175 [illegible]फीट का पट्टा नंबर 12 प्लॉट नं0 1 मिसल सं0 18 तारीख 16.08.1986 [illegible] जयकिशन पुत्र धूलीलाल को जारी किया है जो नियम विरूद्ध [illegible] निरस्त किये जाने [illegible]। उक्त पट्टा पुराने मकानो का विनियमितकरण नियम 157 [illegible] के अन्तर्गत जारी क[illegible]र्शाया है जबकि पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है मौके पर उसका कोई निर्माण नहीं होकर निगराकारान के पिता हीरालाल पुत्र मथुरालाल राठौर जाति तेली निवासी बड़वा का काफी लम्बे अर्से से कब्जा था जिसकी पुष्टि ग्रम पंचायत बड़वा द्वारा दिनांक 09.06.1985 को नोटिस कमांक 85 जारी कर आबादी भूमि खसरा नंबर 955, 956 से पत्थर हटाने के लिये जारी

किया गया। जिसके सेटलमेन्ट सम्वत् 2044–63 में हाल खसरा नंबर 1287, 1288, 1289, 1306 कायम किये गये जिनमें से 1287, 1288 खलियान के रूप में दर्ज है इस प्रकार पुराने राजस्व रिकार्ड से भी उक्त स्थान पर निगराकारान के पिता हीरालाल का खलियान होना प्रमाणित है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत बड़वा द्वारा दिनांक 01.12.2021 को कमांक ग्राम पं0/2021–22 जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आबादी भूमि लिसाडी रोड़ पर खसरा नंबर 955, 956 की भूमि खलियान पर पूर्वजों के समय से लगभग 80 साल से कब्जा चला आ रहा है इस भूम पर खलिहान व कृषि कार्य जानवरों के पालन का उपयोग होता आ रहा है जो हीरालाल राठौर की मृत्यु के बाद उसके वारिसान निगराकारान का कब्जा आज दिनांक तक चला आ रहा है। इस प्रकार गैर निगराकार कम 1 को जारी किया गया पट्टा अवैधानिक नियम विरूद्ध व आज दिनांक तक कब्जा न होने से काबिले निरस्तनीय है। गैर निगराकार द्वारा पट्टा फीस की राशि भी जमा नहीं करवाई गई है। पट्टा जारी करने का सरपंच को कोई अधिकार नहीं था तत्कालीन ग्राम सेवक/पदेन सचिव के कोई हस्ताक्षर पट्टे पर नहीं है न ही पट्टाधारी के हस्ताक्षर है इस प्रकार उक्त पट्टा गैर निगराकार कम 1 द्वारा तत्कालीन सरपंच से फर्जी रूप से बनवाया गया है जो विधि विरूद्ध एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अतः गैर निगराकार कम 1 जयकिशन पुत्र धूलीलाल जाति धाकड़ निवासी बड़वा को जारी पट्टा नं. 12 दिनांक 29.09.1986 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तथा अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत बड़वा का रेकार्ड तलब किया गया।

गैर निगराकारान कम 1/1 लगायत 1/6 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए तथा जवाब निगरानी इस आशय का पेश किया कि निगराकारान ने मिथ्या एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर यह निगरानी पेश की है जो काबिल खारजा है। गैरनिगराकारान का उक्त भूखण्ड पर पिछले 35–40 वर्ष से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा गैर निगराकारान के पिता जयकिशन ने उक्त भूखण्ड की पट्टा फीस 1811/–रू0 सन् 1986 में जमा करवाकर नियमानुसार पट्टा ग्राम पंचायत बड़वा से प्राप्त किया था तथा पट्टा प्राप्त करने के बाद गैरनिगराकारान ने उक्त भूखण्ड में नीवे खुदवाकार कुर्सी निर्माण करवा रखा है। निगराकारान कानून की आड़ लेकर जबरन उक्त भूखण्ड पर अपना कब्जा बताकर उक्त भूखण्ड को हथियाना चाहते हैं जिसका उन्हे कोई हक प्राप्त नही है। गैरनिगराकार को उक्त भूखण्ड पंचायत कमेटी बनाकर नियमानुसार आवंटन किया गया था तथा गैरनिगराकार के साथ अन्य लोगों को भी पट्टे कमेटी द्वारा नियमानुसार जारी किये थे। अतः निगरानी निरसत फरमायी जावे।

अधीनस्थ कार्यालय के मूल रेकार्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत बड़वा के पत्र कमांक 174–175 दिनांक 25.01.2023 से अवगत कराया गया है कि **"इस पत्रावली से सम्बन्धित इतना पुराना रिकार्ड अत्यधिक बरसात टपकने से खराब जीर्ण शीर्ण होने से ग्राम पंचायत बड़वा के पास उपलब्ध नहीं है।"**

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौरान बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गै निगराकार कम 1 को पट्टा पुराने मकानो का विनियमितीकरण नियम 157 (ख) के अन्तर्गत जारी किया गया था जबकि पट्टा जिस भूमि का जारी किया गया था उस पर गैर निगराकार का कोई मकान निर्मित नहीं था। बल्कि उस स्थान पर निगराकार का खलिहान तथा कब्जा था जिसके बाबत पूर्व में ग्राम पंचायत बड़वा ने

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:22 IST
Reason: SelfAttested

पत्थर हटाने हेतु निगराकार को नोटिस दिनांक 09.06.1985 को जारी किया गया था। गैर निगराकार ने पट्टा जारी होने के इतने वर्ष बाद भी पट्टांकित भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया तथा गैर निगराकार का इस भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार कर गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा नं. 12 दिनांक 29.09.1986 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार ने जवाब निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार के पक्ष में पट्टा नं. 12 दिनांक 29.09.1986 को जारी किया गया है जिसकी विरूद्ध की गई निगरानी मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है। गैर निगराकार को ग्राम पंचायत की कमेटी ने पट्टा जारी किया है जिस पर सरपंच, सचिव के हस्ताक्षर हैं तथा फीस के रूप में गैर निगराकार ने 1811/– रूपये जमा करवाये हैं। इसी भूमि पर अन्य व्यक्तियों को 11 पट्टे और जारी किये गये हैं। गैर निगराकार का 40–50 वर्षों से पट्टांकित भूमि पर कब्जा है। गैर निगराकारान मकान बनाने लगा तब निगराकारान ने आपत्ति कर निगरानी पेश की। वर्तमान में उक्त भूमि पर गैर निगराकारान का निर्माण चल रहा है। गैर निगराकार को जारी पट्टा फर्जी नहीं है।

रिपीटल में अभिभाषक निगराकार ने कथन किया कि मियाद हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र पेश किया हुआ है निगरानी पेश होने में हुई देरी के विस्तृत कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये हैं। गैर निगराकार का यह कथन कि दिनांक 29.09.1986 को 11 अन्य व्यक्तियों को भी पट्टे जारी किये गये हैं नितान्त असत्य है क्योंकि इसका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। यह भी असत्य है कि गैर निगराकार ने पट्टा फीस की राशि अदा की है क्योंकि जमा राशि की रसीद उनके द्वारा पेश नहीं की गई है। गैर निगराकारान का पट्टांकित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा नं. 12 दिनांक 29.09.1986 निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर विचारण किया गया। न्यायहित में निगरानी पेश करने में हुई देरी क्षम्य की जाकर निगरानी विचारार्थ ग्राह्य की जाती है।

निगराकार द्वारा पट्टा गत खसरा नंबर 955, 956 हाल खसरा नंबर 1287, 1288, 1289, 1306 का जारी किया जाना बताया है जबकि उक्त खसरा नंबर पट्टे में अंकित नहीं हैं। पट्टे पर सरपंच व अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तथा राशि 1811/– रू0 जमा किया जाना व रसीद संख्या भी उसमें अंकित की गई है। पट्टा 1986 में 37 वर्ष पूर्व जारी किया गया। यदि पट्टे में अंकित भूमि पर निगराकार का कब्जा है भी तो वह अतिक्रमी ही माना जावेगा जिसका भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार पट्टा विधिवत जारी किया जाना पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः निगराकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को किया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज.)